(66)

[redacted]

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–मुरैना

-/ निग/ मुरैना/ भू-रा/2017/2495

द्वारा आज दि. 2/8/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जण्डेल सिंह पुत्र श्री बाबूसिंह ठाकुर,
निवासी रायचन्द का पुरा, मौजा रजौधा,
तहसील – पोरसा, जिला मुरैना (म.प्र.)

-- **आवेदक**

विरूद्ध

1– गुड्डी बाई पत्नी रामभजन स्वर्णकार
निवासी – पुराना थाने के पास,
पोरसा, जिला मुरैना (म.प्र.)

2– मीराबाई पत्नी छोटेलाल स्वर्णकार,
निवासी – पुराने थाने के पास, पोरसा,
जिला मुरैना (म.प्र.)

3– रामरतन पुत्र श्री जोधाराम स्वर्णकार,
निवासी– पुराने थाने के पास पोरसा,
जिला मुरैना (म.प्र.)

4– रानी पुत्री श्री बाबूलाल पत्नी रामौतार
निवासी – हाल पटी गली, सब्जी मण्डी रोड,
जिला – मुरैना (म.प्र.)

-- **अनावेदकगण**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह, जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 56/2010–11/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, कस्बा पोरसा, जिला मुरैना में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 924 रकबा 0.31 है0, के भूमिस्वामी बाबूलाल ने भूमि का पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 08.09.1994 को सम्पादित किया जाना बताकर अनावेदिका क्रमांक 1 गुड्डीबाई द्वारा तहसीलदार पोरसा के प्रकरण क्रमांक 41/08–09/अ–6 में पारित आदेश

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/2495

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	